न्यायालय राजस्व मण्ड्ल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4162-दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-12-14 एंव 8-12-14 - पारित द्वारा तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना - प्रकरण कमांक 63 अ-6/2012-13

1- हरीवावू पुत्र विद्याराम
2- हरीमोहन पुत्र टुण्डाराम
निवासी ग्राम बड़फरा
तहसील अम्वाह जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामसेवक 2- वासुदेव
3- रामवरण 4- विनोद शर्मा
5- राजकिशोर 6- रामनरेश
सभी पुत्रगण रामशँकर निवासीगण
ग्राम बडफरा तहसील अम्वाह जिला मुरैना
7- म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर, अजय सिंह तोमर)
(अनावेदक 1 से 6 के अभिभाषक श्री एस.कम्ठान)
(अनावेदक 7 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श
(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 63 अ-6/2012-13 में पारित आदेश दि0 6-12-14 एंव 8-12-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार अम्वाह के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 109,

110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत मौजा बड़फरा की आराजी नंबर 596 रकबा 0.178 हैक्टर में से 1/3 भाग (भूमिस्वामी मुरारीलाल बेओलाद मृतक की भूमि) पर नामांत्रण किये जाने की मांग रखी, तहसीलदार अम्बाह ने प्रकरण क्रमांक 63 अ-6/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर दो आपत्ति आवेदन (1) अँगूरी देवी, रामकुमार, वृजेश का (2) आवेदकगण का प्रस्तुत हुये। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ने पेशी दिनांक 6-12-14 को अंकित किया कि :-

'' प्रकरण पेश। प्रकरण में अना.पक्ष की ओर से जवाव पेश। पूर्व में पेश। उभय पक्ष लिखित तर्क पेश करना चाहे तो पेश करें। प्रकरण अवलोकन हेतु''

उक्त के वाद पेशी 8-12-14 नियत की गई। इस पेशी पर प्रवाचक ने आडरशीट इस प्रकार लिखी है :-

'' प्रकरण पेश । उभय पक्ष अभि. उप.। आपत्तिकर्ता हरीवावू हरिमोहन की ओर से लिखित बहस पेश। पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर। प्रकरण समक्ष में पेश हो। ''

पुनश्य : आवेदक अभि. व्दारा रामकुमार की आपत्ति का जवाव पेश किया। प्रकरण पूर्ववत्। ''

उपरोक्त आडरशीट दिनांक 6-12-14 एंव 8-12-14 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने पेशी दिनांक 6-12-14 को अंकित किया कि प्रकरण पेश। प्रकरण में अना.पक्ष की ओर से जवाव पेश। पूर्व में पेश। उभय पक्ष लिखित तर्क पेश करना चाहे तो पेश करें। प्रकरण

अवलोकन हेतु । तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश में कौनसी कमी है अथवा आवेदकगण को इस आदेश से किस वावत् नुकसान हुआ है. आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके है। इस प्रकार अंतरिम आर्डरशीट दिनांक 8-12-14 प्रवाचक व्दारा लिखी गई है। प्रवाचक व्दारा लिखी गई आडरशीट निश्चयात्मक नहीं होती है एंव प्रवाचक के समक्ष जिन पक्षकारों ने लिखित बहस अथवा आपत्ति का उत्तर प्रस्तुत किया है, प्रवाचक ने प्रकरण में संलग्न कर लिया है जिसका उल्लेख आडरशीट में है। आर्डरशीट दिनांक 8-12-14 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार अम्वाह ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है जबकि आवेदकगण का दायित्व था कि जिन आधारों पर वह निगरानी में पक्ष रख रहे हैं उन आधारों को 8-12-14 के वाद तहसीलदार के समक्ष रखकर पक्ष समर्थन करते, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये प्रवाचक व्दारा लिखी गई आडरशीट के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है जिसके कारण निगरानी प्रचलन-योग्य एंव सुनवाई योग्य नहीं है। उभय पक्ष को तहसीलदार अम्वाह के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 63 अ-6/ 2012-13 की आदेश पत्रिका दिनांक 6-12-14 एंव 8-12-14 में फेर-बदल संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव प्रकरण तहसीलदार अम्वाह को वापिस कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण कमांक 63 अ-6/2012-13 व्यर्थ लम्बित हुआ है । अतएव वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये 90 दिवस के भीतर प्रकरण का विधिवत् निराकरण करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर